

कार्य मंत्रणा समिति  
(सत्रहवीं लोक सभा)

-----

छत्तीसवां प्रतिवेदन  
(12.12.2022 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, 6 दिसम्बर, 2022 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार समय के आवंटन की सिफारिश की है:-

(1) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 (छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में), इसे पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात्। 2 घंटे

*(विचार तथा पारित करना)*

(2) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 (कर्नाटक राज्य के संबंध में), इसे पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात्। 2 घंटे

*(विचार तथा पारित करना)*

(3) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (तमिलनाडु राज्य के संबंध में), इसे पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात्। 2 घंटे

*(विचार तथा पारित करना)*

(4) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में), इसे पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात्। 2 घंटे

*(विचार तथा पारित करना)*

(5) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 4 घंटे

*(विचार तथा पारित करना)*

नई दिल्ली;  
7 दिसम्बर, 2022  
16 अग्रहायण, 1944 (शक)

ओम बिरला  
सभापति,  
कार्य मंत्रणा समिति।